

खान मंत्रालय
मांग संख्या 58
खान मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	(करोड़ रुपए)									
राजस्व	148.01	246.65	394.66	133.76	245.92	379.68	149.87	267.46	417.33	
पूंजी	101.99	112.00	213.99	96.24	112.00	208.24	32.13	119.00	151.13	
जोड़	250.00	358.65	608.65	230.00	357.92	587.92	182.00	386.46	568.46	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.59	5.59	...	6.04	6.04	...	6.50	6.50
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग										
2. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण	2853	99.90	158.31	258.21	88.31	157.20	245.51	108.98	162.14	271.12
3. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान	2853	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50	12.00	...	12.00
4. भारतीय खान ब्यूरो	2853	22.01	12.34	34.35	20.95	12.28	33.23	16.98	12.70	29.68
जोड़	4853	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05	0.30	...	0.30
जोड़	22.51	12.34	34.85	21.00	12.28	33.28	17.28	12.70	29.98	
5. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को अनुदान	2853	...	67.72	67.72	...	67.72	67.72	...	83.62	83.62
6. अन्य कार्यक्रम	2853	5.50	2.69	8.19	5.00	2.68	7.68	5.50	2.50	8.00
जोड़-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	136.41	241.06	377.47	122.81	239.88	362.69	143.76	260.96	404.72	
7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न उधार										
7.01 भारत गोल्ड माइन्स लि.	6853	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
7.02 खनन अन्वेषण निगम लिमिटेड	6853	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	5.00	5.00
7.03 हिन्दुस्तान कापर लि.	6853	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	114.00	114.00
Total	...	112.00	112.00	...	112.00	112.00	...	119.00	119.00	
8. सरकारी उद्यमों में निवेश	4853	65.99	...	65.99	0.65	...	0.65	10.42	...	10.42
जोड़	6853	35.50	...	35.50	95.54	...	95.54	15.00	...	15.00
जोड़	101.49	...	101.49	96.19	...	96.19	25.42	...	25.42	
9. उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान										
9.01 भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण	2853	11.10	...	11.10	10.00	...	10.00
9.02 भारतीय खान ब्यूरो	2853	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़	2552	6.41	...	6.41	
जोड़	4552	6.41	...	6.41	
जोड़	12.10	...	12.10	11.00	...	11.00	12.82	...	12.82	
कुल जोड़	250.00	358.65	608.65	230.00	357.92	587.92	182.00	386.46	568.46	
ग. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	
8.01 भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि	12853	...	82.10	82.10	...	74.46	74.46	...	50.00	50.00
8.02 हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	12853	30.00	10.00	40.00	27.00	...	27.00	25.00	...	25.00
8.03 नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	12853	...	1282.67	1282.67	...	861.13	861.13	...	1081.54	1081.54
8.04 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	12853	65.08	260.00	325.08	65.08	251.00	316.08	...	130.00	130.00
8.05 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	12853	4.50	...	4.50	3.46	...	3.46
8.06 भारत गोल्ड माइन्स लि.	12853	1.00	...	1.00
8.07 सिक्किम खनन निगम	12853	0.91	...	0.91	0.65	...	0.65	0.42	...	0.42
8.08 अन्य निकाय/संस्थाएं	12853	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50
जोड़	101.49	1638.27	1739.76	96.19	1190.09	1286.28	25.42	1265.04	1290.46	
ग. आयोजना परियोजना*										
1. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	12853	247.90	1638.27	1886.17	227.37	1190.09	1417.46	177.18	1265.04	1442.22
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	12.10	...	12.10	11.00	...	11.00	12.82	...	12.82
जोड़	260.00	1638.27	1898.27	238.37	1190.09	1428.46	190.00	1265.04	1455.04	

* शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में निर्माण कार्य प्रावधान सहित।

मांग संख्या 80	12853	2.00	...	2.00	0.37	...	0.37	1.50	...	1.50
मांग संख्या 81	12853	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	6.50	...	6.50
जोड़	10.00	...	10.00	8.37	...	8.37	8.00	...	8.00	

1. **सचिवालय:** इसके अन्तर्गत विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण:** इसके अन्तर्गत भूगर्भीय मानचित्रण और अपतटीय क्षेत्रों सहित देश के क्षेत्रीय खनिज के मूल्यांकन के लिए व्यवस्था है और इसमें उपग्रह प्रतिबिम्ब और वायुवाहित सर्वेक्षण के जरिए सुदूर संवेदन की आवश्यकता भी शामिल है।

3. **खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान:** संवर्धनात्मक आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा निगम को सौंपी गई अन्वेषण परियोजनाओं का वित्तपोषण अनुदानों द्वारा किया जाता है।

4. **भारतीय खान ब्यूरो :** इसके अन्तर्गत प्रावधान में खानों के अध्ययन और निरीक्षण तथा अनुसंधान के लिए भारतीय खान ब्यूरो की आवश्यकताओं और (i) निम्न श्रेणी के अयस्कों और खनिजों के उपकारक और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को बढ़ाने को दृष्टिगत रखते हुए विशेष खनन समस्याओं के अनुसंधान और नई प्रयोगशाला के भवन के निर्माण के लिए व्यवस्था शामिल है।

5. **भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड:** कम्पनी में कर्मचारियों को अलग करने के लिए भुगतान का प्रावधान।

6. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें विनिर्दिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न सहाय्य और वैज्ञानिक निकायों को अनुदान सहायता के लिए व्यवस्था और राष्ट्रीय खनिज पुरस्कारों आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

7. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण

7.01 **भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड :** आयोजना-भिन्न ऋण का भुगतान नकद हानियों को पूरा करने के लिए है। बजट 2001-2002 के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

7.02 **खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड:** आयोजना-भिन्न ऋण का भुगतान कम्पनी में अतिरिक्त कर्मचारियों को अलग करने के लिए है।

7.03 **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड:** आयोजना-भिन्न ऋण का भुगतान कम्पनी

में अतिरिक्त कर्मचारियों को अलग करने के लिये है।

8. **सरकारी उद्यमों में निवेश :** इसके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों को उनकी नई और चल रही योजनाओं पर पूंजी व्यय, प्रतिस्थापन तथा नवीकरण और अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रयासों के लिए इक्विटी और ऋणों की व्यवस्था की गई है। इन उद्यमों और आं०ब०बा०सं० के लिए बजट समर्थन का इक्विटी और ऋणवार ब्यौरा, व्यय बजट स्पण्ड 1 में दर्शाया गया है।

8.01 **भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड:** भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के लिए परिव्यय अनवरत योजनाओं, नई योजनाओं और प्रतिस्थापन तथा नवीकरण के लिए है।

8.02 **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड :** हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का परिव्यय जारी स्कीमों, प्रतिस्थापन और नवीकरण तथा अनुसंधान व विकास पर खर्च किया जाना है।

8.03 **राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी (नेल्को) :** राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी लि. का परिव्यय मुख्यतः बाक्साइड खान, अल्यूमिनियम रिफाइनरी, प्रतिस्थापन एवं नवीकरण आदि जैसी विद्यमान सुविधाओं के लिये है।

8.04 **हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच.जेड.एल) :** परिव्यय, मुख्यतः प्रतिस्थापन और नवीकरण, अनुसंधान और विकास के लिए है।

8.05 **खनिज अन्वेषण निगम लि. (एम.ई.सी.एल) :** परिव्यय बजट से वित्तपोषित है क्योंकि निगम नकद क्षतियों के कारण किन्ही आन्तरिक संसाधनों का सृजन नहीं कर रही है। बजट 2001-2002 के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

8.06 **भारत गोल्ड माइन्स लि. (बी.जी.एम.एल) :** परिव्यय बजट से वित्तपोषित किया जाएगा क्योंकि निगम में नकदी हानि बढ़ रही है। बजट 2001-2002 के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

8.07 **सिक्किम खनन निगम (एस.एम.सी) :** इसमें वर्ष 2001-2002 के लिए बजट सहायता के रूप में 0.42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

8.08 **अन्य निकाय/संस्थान:** परिव्यय वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए है।

9. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के विकास की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए है।